फर्द अहकाम

न्यायालयः अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर
प्रार्थीः श्री राजूसिंह पिता पनसिंह राजपूत **विपक्षीः** श्री कालुसिंह पिता डाउसिंह व अन्य
किस्म मुकदमाः आवंटन निरस्त **पत्रावली संख्याः** 08 **वर्षः** 2019 **GCMS NO**-2019/00045........

क्र.स.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की
12.03.2021	पत्रावली पेश हुई। हमने प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा.दी. पर उभय पक्ष द्वारा की गई बहस का रेकर्ड के मुकाबले अध्ययन किया व तथ्यो पर मनन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अनुरोध किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया है, जिसमे ''राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुंए खोदने और पम्प सेट लगाने के लिये भूमि आवंटन) नियम, 1979 (4)(1) के तहत किये गये आवंटन निरस्त बाबत्'' शीर्षक और जोड़ना चाहता हूॅं। अतः शीर्षक मे प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जावे। विपक्षी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा बहस मे भाग लेते हुए अनुरोध किया कि राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुंए खोदने और पम्प सेट लगाने के लिये भूमि आवंटन) नियम, 1979 के तहत विपक्षी संख्या 1 से 3 के पक्ष मे कुंआ नियमन हुआ हैं, जबकि प्रार्थी द्वारा नियम 14(4) के तहत कृषि भूमि आवंटन निरस्ती का त्रुटिपूर्ण प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। इस संबंध मे विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 151जा.दी. पूर्व मे पेश कर आपत्ति भी प्रस्तुत की गई है, जिस पर बहस सुनी जा चुकी है। निर्णय दिवस को प्रार्थी द्वारा आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151जा.दी. का प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है, जो उचित नहीं हैं। उक्त प्रा.पत्र के द्वारा प्रकरण की प्रकृति नहीं बदली जा सकती हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2010(1) पृष्ठ 238 (एस.सी.), आर.आर.टी. 2008(2) पृष्ठ 818 (एस.सी.), सी.टी.(राज.) 2014(1) पृष्ठ 103, सी.टी.(राज.) 2014(1) पृष्ठ 120 की प्रति प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी का कथित प्रा.पत्र निरस्त करने की मांग की। प्रा.पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा.दी. पर उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली के गंभीरता पूर्वक अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत कर रखा है, जबकि कथित आवंटन/नियमन कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानान्तर्गत न होकर राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुंए खोदने और पम्प सेट लगाने के लिये भूमि आवंटन) नियम, 1979 के प्रावधानान्तर्गत हुआ हैं। इस संबंध मे विपक्षी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा 151जा.दी का प्रा.पत्र प्रस्तुत कर प्रांरभिक आपत्ति दर्ज करायी गई है, जिस पर दिनांक 21.01.2021 को बहस भी सुनी जा चुकी है। उक्त प्रा.पत्र पर आदेश दिनांक 28.01.2021 को पारित किया जाना था, किन्तु आदेश पारित करने से पूर्व ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151जा.दी. का प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता के इस कथन से हम सहमत है कि प्रार्थी अधिवक्ता उक्त प्रा.पत्र के द्वारा प्रकरण की प्रकृति एवं स्वभाव नहीं बदल सकते हैं। यदि उक्त प्रा.पत्र को स्वीकार किया जाता है तो प्रकरण की प्रकृति मे परिवर्तन होना स्वभाविक है एवं प्रकृति बदलने से प्रस्तावित संशोधन को अनुमति नहों दी जा सकती हैं। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का उक्त प्रा.पत्र खारिज किये जाने योग्य पाया जाता हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण मे चस्पा होते हैं। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा.दी. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के अधि[illegible]त धारा 151 जा.दी स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे कार्य[illegible]स्तर पर समाप्त की जाती है। प्रार्थी यदि चाहे तो [illegible] के अंतर्गत प्रा.पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फेसल शुमार हो[illegible] से कम किया जावें।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:27 IST
Reason: SelfAttested